



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 25-02-2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 108/24 धारा 457/380/427 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक जनरेटर एवं घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी टाटा ACE GOLD नं० UP-17BT-2131 तथा 02 चैन कुप्पी व पटार एवं एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.02.2024 को थाना बडौत पर वादी चरण सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी सुभाषनगर कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा संत निरंकारी सत्संग भवन दिल्ली-सहारनपुर रोड़ से एक जनरेटर को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु०अ०सं० 108/2024 धारा 457/380/427 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 108/24 धारा 457/380/427 भादवि



का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक जनरेटर एवं घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी टाटा ACE GOLD नं0 UP-17BT-2131 तथा 02 चैन कुप्पी व पटार एवं एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि व धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-सुभनिक पुत्र प्रमोद निवासी पट्टी खोब्बा ग्राम महावतपुर बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-सोनू पुत्र तेजपाल निवासी पट्टी खोब्बा ग्राम महावतपुर बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ जनरेटर।
- घटना में प्रयुक्त 02 चैन कुप्पी, पटार व एक गाड़ी टाटा ACE GOLD नं0 UP-17-BT-2131
- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3-का0 493 विवेक सिरोही थाना बड़ौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 25.02.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 107/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भगत सिंह पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 25 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना बडौत ।
- 2-का0 1016 रोहित राठौर थाना बडौत ।
- 3-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत ।